तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
06.06.2018	पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प झांफली कलां में पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण बाद सुचना अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार हैं तथा काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। ऐसी सूरत में विवादीत भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम **नागणासर,** पटवार मण्डल **झांफली कलां**, तहसील **शिव** के **खेत खसरा नम्बर 53 व 84 रकबा क्रमशः 31.06 व 41.15 बीघा कुल रकबा 73.01 बीघा भूमि** के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखबन्दी करने हेतु **भू अभिलेख निरिक्षक गूंगा** को 1000 /–रूपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करेगें। आवश्यकता होने पर एस.एच.ओ. शिव से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। **भू अभिलेख निरिक्षक गूंगा** बाद पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी शिव

Scanned by CamScanner